

# Fssai

सुरक्षित खाद्य, स्वास्थ्य व जल

## Food Safety & Standards Authority of India

भारतीय खाद्य संस्था एवं मानक प्राधिकरण

A Statutory Authority under FSS Act, 2006

(एक एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)

1st Floor, NBCC place,

Bhism Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi- 110003

(Above office of Resident commissioner of Uttar Pradesh)

Contact No. 011-24369457

प्रथम तल, एन बी सी सी प्लेस, भिष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 (उत्तर प्रदेश के आवसीय आयुक्त के कार्यालय से ऊपर) संपर्क नंबर -011-24369457

**Dated/दिनांक:** 24/05/2016

BAJAJ SANJAY POULTRY FARM

Vilge Badshahpur, District Gurgaon. Haryana,  
Gurgaon (Haryana), 122001

**Subject:** Grant of License (Renewal)

विषय: लाइसेंस (नवीकरण) प्रदान करना

Sir,

महोदय,

से refer to your Application ID CLS16050000165393 dated 19/05/2016 regarding grant of Renewed license under FSS Act, 2006. A Renewed license for the above mentioned application is granted as per the details given below:

कृपया आप एक एस एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नवीकरण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अपने आवेदन CLS16050000165393 दिनांक 19/05/2016 का संदर्भ देखें। उपरोक्त उल्लिखित आवेदन के लिए नवीकरण लाइसेंस नीचे दिए गए ब्यारे के अनुसार प्रदान किया जाता है:

License Number/लाइसेंस संख्या	Category of License/लाइसेंस की श्रेणी	Date of Grant/प्रदान करने की तारीख	Validity/विधिमन्यता
10015064000602	Central	22/06/2016	21/06/2021

The License is granted under and is subject to the provisions of Food Safety & Standards Act 2006, and Food Safety & Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011.

लाइसेंस खाद्य संस्था एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य संस्था एवं मानक (खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस देने तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 के अधीन एवं इसके शर्ताधीन प्रदान किया जाता है।

The license should be kept in safe custody within the authorized premises and should be made available as and when required by licensing authority or their officials. A true copy of the license shall be displayed at a prominent place at all times within the authorized premises where the food business is carried out. The application for renewal of license must be made in the specified format not later than 30 days prior to the expiry of validity mentioned above, after which Rs.100 per day will be charged up to the date of expiry. After expiry a fresh online application for grant of a new license will be required.

लाइसेंस को प्राधिकृत परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तथा आवश्यक्ता पड़ने पर लाइसेंस प्राधिकारी या उनके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लाइसेंस की सही प्रति को प्राधिकृत परिसर, जहां खाद्य व्यवसाय किया जाता है के अंतर्गत प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन उपयुक्त उल्लिखित विधिमन्यता समाप्त होने की तारीख से पहले 30 दिन से अधिक नहीं अवधि में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अवरुध किया जाना चाहिए जिसके बाद समाप्ति की तारीख तक 100रु प्रति दिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। समाप्ति के बाद नए सिरे से नवीन लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी।

Please note that your application had been considered on the basis of the documents submitted. The authorized premises shall be inspected for verifications of information provided and to ensure compliance with all relevant provisions of the Act and Regulations. You shall also be responsible to ensure compliance with all acts, norms, regulations etc. pertaining to fire, electricity and electrical equipment, environment etc. as stipulated by the respective state authorities.

कृपया यह नोट करें कि आपके आवेदन पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर विचार किया गया था। प्राधिकृत परिसरों का निरीक्षण दी गई सूचना के सत्यापन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अधिनियम तथा विनियमों के सभी प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। आप सभी अग्नि, विद्युत तथा विद्युत उपकरण, पर्यावरण इत्यादि जिसका निर्धारण राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया है से संबंधित सभी अधिनियमों, मानकों, विनियमों आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

Enclosure: Original License under FSS Act, 2006

नुसखे:- एक एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन मूल लाइसेंस

(Anil Mehta)

(अनिल मेहता)

Central Licensing Authority

केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी

Food Safety & Standards Authority of India

भारतीय खाद्य संस्था एवं मानक प्राधिकरण

Region name/क्षेत्र का नाम : New Delhi

Email Id/ईमेल आईडी : aodelhi@fssai.gov.in

Phone No/फोन नंबर : 011-24369457

भारत सरकार  
Government of India  
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति  
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : **10015064000602**

1. अनुज्ञप्तिधारी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता  
Name & Registered Office Address of Licensee

BAJAJ SANJAY POULTRY FARM  
Village Badshahpur, District Gurgaon, Haryana, Gurgaon (Haryana), -122001

2. प्राधिकृत परिसरो का पता  
Address of Authorized Premises

Village Badshahpur, District Gurgaon, Haryana, Gurgaon (Haryana), -122001

3. कारोबार का प्रकार / Kind of Business

Repacker, Marketer, Supplier

4. डेयरी कारोबार विवरण हेतु / Dairy Business Details

N.A.

5. अनुज्ञप्ति का वर्ग / Category of License :

Central

यह अनुज्ञप्ति खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुदत्त की गई और वह अधिनियम के उपबंधों के अध्यादीन है जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए / This license is granted under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the licensee.



AMM

( Anil Mehta )  
( Designated Officer )

Stamp and signature of Designated Officer

स्थान / Place : New Delhi  
दिनांक / Date : 24/05/2016

खा. सं. और मा. अधि., 2006 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञापन अधिकारी  
Central Licensing Authority under FSSA, 2006

विधिमन्यता और नवीनीकरण / Validation And Renewal

License Issue / Renewal Date	Period of validity	License Fee Paid	Items of Food products with capacities authorized to Manufacture / Re-pack / Re-label	Installed handling Capacity	Signature Of Designated Officer
22/06/2016	21/06/2021	Rs. 37500 (Renewal)	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	AMM
22/06/2015	21/06/2016	Rs. 7500	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	

Disclaimer-This License is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.